The same of the sa

E-mail :- upjnbudget@gmail.com

दूरगाप : 2620172 2620272 फैक्स : 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

प्रधान कार्यालय : ६ राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : ७७७ / 2313-0002 / बजट / 2021-22

दिनांक :

28/10/2022

- : धनावंटन आदेश : -

राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नागर अनुभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सक्षम स्तर द्वारा निम्नानुसार धनराशि अन्तरित किये जाने की रवीकृति प्रदान की गई है :-

| क्र.सं. | योजना का नाम | मुण्डेरा बाजार नगर पंचायत पेयजल योजना | | |
|---------|---|---|---|---|
| 1 | शासनादेश संख्या | 1. शासनादेश सं0-397/2019/4007/नौ-5-2019-96 बजट/2019, दि0 19.12.2019 2. शासनादेश सं0-170/2021/11668/नौ-5-21-96 बजट/2019, दि0 02.12.2021 | | |
| 2 | स्वीकृत लागत (रू० लाख में) | 132.09 | | |
| 3 | योजना के सापेक्ष | प्रथम किश्त | द्वितीय किश्त | योग / |
| | स्वीकृत/अवमुक्त की गई धनराशि (रू० लाख में) | | 92.09 | 132.09 |
| 4 | अनुबन्ध संख्या / पत्रांक | (CB No-117/SE/2019-20) | | |
| क्र.सं. | विवरण | रनिंग बिल धनराशि (रूपये में) | रनिंग बिल की अंतरित की जाने वाली धनराशि (रूपये में) | सेन्टेज की धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रनिंग बिल-02 | 1,86,081.00 | 8,307.00 | , 23,260.00 |
| 2 | | 8,307.00 | | 23,260.00 |
| | योग — | रू० आठ हजार, तीन सौ, सात मात्र | | रू० तेइस हजार, दो सौ, साठ मात्र |
| 3 | कार्यालय का नाम – | अधिशासी अभियंता, प्रथम प्रकल्प खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गौरखपुर | | प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ |
| 4 | वैंक का नाम - | PNB,Civil Line, Gorakhpur | | PNB, Aliganj |
| 5 | खाता संख्या – | 4756000100038880 | | 1854000101020523 |
| 6 | IFSC CODE No | PUNB0475600 | | PUNB0185400 |

प्रधान कार्यालय के नागर अनुभाग द्वारा उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने की मुख्य अभियंता (नागर) द्वारा की गयी संस्तुति दिनांक 19.10.2022 एवं सक्षम स्तर की स्वीकृति दिनांक 22.10.2022 के आधार पर उक्त तालिका अनुसार धनराशि निम्न शर्तों के आधीन आवंटित/अन्तरित की जाती है:—

1. आवंटित की जा रही धनराशि के नियमानुसार भुगतान से पूर्व सम्बन्धित द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि

कराये गये कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर लिये गये हैं।

2. प्रस्तुत बिल में की जाने वाली वैधानिक एवं अन्य कटौतियों को समय से जमा करने उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

- असम्बन्धित द्वारा अगले बिल को प्रस्तुत करते समय यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पूर्व में सम्बन्धित बिल से की गयी कटौतियाँ यथा जी.एस.टी.इनकम टैक्स इत्यादि का भुगतान सम्बन्धित विभाग को कर दिया गया है।
- 4. उक्त धनराशि मात्र आवंटन है तथा मात्र धनावंटन ही भुगतान का इस स्तर पर पर्याप्त आधार नहीं है।

5. धनराशि के भुगतान के पश्चात भुगतान की कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित किया जाये।

6. भुगतान की देयता/सत्यता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित का होगा।

 परियोजना से सम्बन्धित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियगों के अधीन उक्त धनराशि का व्यय किया जाये।

> (राजेश कुमार चौधरी) मुख्य लेखाधिकारी

> > (00 10 122